

भाग- ॥

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- | | | | |
|-------|---|--------------|-------------------------|
| i) | राज्य/रांघ शासित क्षेत्र | - | उत्तराखण्ड |
| ii) | ज़िला | - | नैनीताल |
| iii) | वन प्रभाग | - | एम्बर वन मुकामा, रामनगर |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन
भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेगर में) | - ०.४०५ (४०) | हैक्टेगर - कालाहृषी |
| v) | वन की कानूनी विधियाँ | - | आरक्षित वन |
| vi) | हरियाली का घनत्व | - | संलग्न है |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परियोजना की संलग्न की जाए। रिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - ४ मी० पर परियोजना भी संलग्न विंगे जाए | - | नवाच्य है |
| viii) | भूकारण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | - | वन सीमा से लगा हुआ |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | - | नहीं |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवगण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी काशीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव गार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबंधित की जाए) | - | नहीं |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुलभ /राकटापन/ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें। | - | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य गहत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में विद्युत है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी व्यौरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | - | नहीं |
| 8- | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवारा संरक्षित क्षेत्र क्या है। | - | हाँ |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं। | - | नहीं |

- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का बौद्धि:-
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास को वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास को वन सीमाओं को दर्शाता है।
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कायान्वयन एजेंसी, समय अनुरूपी लागत द्वाचा आदि।
 - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रगाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक हास्रा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11- जिला वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालग 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- 12- प्रगाण/जिला प्रोफाइल
- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
 - ii. गामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
 - iii. 1980 से जिला/प्रगाण में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
 - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
 - (क) वन भूमि पर
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर

- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक.....

स्थान.....

:- जाहू नदी

:- लालू नदी

:- लालू नदी

— 679400.00 ₹०
402640.00 ₹०

— 113 (लं.) 156.5932 ₹०

— 230.2642 ₹०

संस्कृत की जाति ₹।

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर *प्रधानीय वनाधिकारी*
प्रधानीय वन ब्राह्मण, रामनगर